संख्या 823 4/07/2022

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99
REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-02062022-236258
SG-DL-E-02062022-236258

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 2, 2022/ज्येष्ठ 12, 1944 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 106
No. 306] DELHI, THURSDAY, JUNE 2, 2022/JYAISHTHA 12, 1944 [N. C. T. D. No. 106

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण निदेशालय
अधिसूचना

दिल्ली, 1 जून, 2022

फा.सं. 1(8)(44)/2015–यूटीसीएस–प्रशा./3144–48.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या फा. 27/59–एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतदद्वारा प्रशिक्षण निदेशालय, यूटीसीएस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में 'मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)' के पद के लिए भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः**–(i) इन नियमों को मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) भर्ती नियमावली, 2022 कहा जायेगा।

   (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तरः**– उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यताएं इत्यादिः**– उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– ऐसा कोई भी व्यक्ति,

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है।

वह उक्त पद पर नियुक्ति को पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये वि"ोष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :– जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचाव** :– इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

कॉलम सं.			सेवा विभाग द्वारा सहमत प्रावधान
1.	पदनाम	:	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)
2.	पदों की संख्या	:	17* (2021) *परिवर्तन कार्यभार के आधार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अराजपत्रित, अलिपिकीय, समूह–'ग'
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	:	स्तर–1 (18000–56900/–रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18–25 वर्ष के बीच* *यदि एमटीएस पदों के लिए भर्ती एसएससी या किसी अन्य समान भर्ती एजेंसियों के माध्यम से की जाती है, तो उस स्थिति में आयु सीमा 18–27 वर्ष के अनुसार निर्धारित की जा सकती है अन्यथा उसे 18–25 वर्ष तक रखा जा सकता है। टीपः– आयु–सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञप्ति होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्यः मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष उत्तीर्ण
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से	:	सीधी भर्ती द्वारा
	भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत		

261/C

11.	यदि पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	:	स्थायीकरण के विचारार्थ 'ग' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समितिः 1. प्रधान सचिव (ऊर्जा) – अध्यक्ष 2. निदेशक (यूटीसीएस) – सदस्य 3. सहायक निदेशक (प्रशा.) यूटीसीएस – सदस्य 4. उप सचिव (वित्त) – सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

डॉ. एस. बी. दीपक कुमार, निदेशक, यूटीसीएस/विभाग प्रमुख

DIRECTORATE OF TRAINING

NOTIFICATION

Delhi, the 1st June, 2022

No. F.1 (8)(44)/2015-UTCS-Admn./3144-48.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification no. F.27/59-Him(i) dated 13th July, 1959, the Lieutenant Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of **"Multi Tasking Staff (MTS)"** in Directorate of Training, UTCS , Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely: -

1. **Short title and commencement** – (i)These rules may be called the Multi Tasking Staff (MTS) Recruitment Rules, 2022

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, its classification and level in the pay matrix** -The number of the said posts, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.** - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in the columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications** - No person -

   (a) Who has entered or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;

Shall be eligible for appointment to any of the said posts:

260/C

Provided that Government of National Capital Territory of Delhi, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds of doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** -Where the Government is of opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving** -Nothing in these rules shall effect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Column No.		Provision agreed to by the Services Department
1	(Name of Post)	Multi Tasking Staff
2	(Number of posts)	17* (2021) *Subject to variation dependent on workload.
3	(Classification)	General Central Service, Non-Gazetted, Non-Ministerial, Group `C'
4	(Level in the Pay Matrix))	Level-1 (Rs. 18000-56900)
5	(Whether selection post or Non selection post)	Not applicable
6	(Age limit for direct recruitment)	**Between 18 – 25 years*** * If recruitment for the posts of MTS is made through SSC or any other similar recruitment agencies, in that case the age limit may be prescribed as 18-27 years otherwise the same may be kept as 18-25 years. **Note:** the crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Delhi Subordinate Services Board/Competent Authority.
7	(Educational and other qualifications required for direct recruits)	**Essential:** Matriculation or equivalent pass from recognized Board/University.
8	(Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees)	Not applicable
9	(Period of probation, if any)	Two years
10	(Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods)	By direct recruitment
11	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grades for which promotion / deputation / absorption to be made)	Not applicable

12	(If DPC exists, what is the composition)	**Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation):** 1. PrincipalSecretary (Power) - CHAIRMAN 2. Director (UTCS) - MEMBER 3. AssistantDirector (Admn.) UTCS - MEMBER 4. Deputy Secretary (Finance) - MEMBER
13	(Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment)	Not applicable

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

Dr. S. B. DEEPAK KUMAR, Director, UTCS/HEAD OF DEPARTMENT

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road...